

U.P. Cooperative Federation Ltd.
TENDER FORM

For
Financial years 2026-27 and 2027-28

Appointment of Contractor for Rake Handling , Loading,
Unloading, Rebagging and Transportation of Fertilizer & Seed
during the financial years 2026-27 and 2027-28

Name of Revenue District

Price of tender form(non refundable)	Rs 5000.00
+SGST 9%	Rs. 450.00
+CGST 9%	Rs. 450.00
Total Price	Rs 5900.00 per set

1

Scanned with CamScanner

कोoperative प्रबन्धक
नीमसीकरक विन्ध्याचल मण्डल
भारजापुर

U.P. Cooperative Federation Ltd.

TENDER FORM

For

Financial years 2026-27 and 2027-28

TECHNICAL BID

(1) Category of Districts A, B & C
Earnest Money: Rs 1,00,000.00
Security Money: (in lakh)
A - Rs 20.00, B - Rs 10.00, C - Rs 08.00

U.P. Cooperative Federation Limited

TENDER FORM FOR RAKE HANDLING, LOADING, UNLOADING, REBAGGING AND TRANSPORTATION OF FERTILIZER & SEED FOR REVENUE DISTRICT (.....)

APPOINTMENT OF CONTRACTOR FOR RAKE HANDLING, LOADING, UNLOADING, REBAGGING AND TRANSPORTATION OF FERTILIZER & SEED BY U.P. CO-OPERATIVE FEDERATION LTD. FOR THE FINANCIAL YEARS 2026-27 and 2027-28

DATED:-.....

Photo
Of the
tenderer

To,

Regional Officer,
U.P. Co-operative Federation Ltd.

Dear Sir,

We submit the E-Tender for appointment as contractor of PCF for Rake Handling (Including Palledari) Loading, Unloading, Rebagging and Transportation of Fertilizer & Seed for revenue district....., category..... Details regarding me/us (tenderer) are as under:-

1. Name of Tenderer
2. Address
3. Phone Number
- (a) Office
- (b) Residence
- (c) Mobile No
- (d) Email:
4. I- In case of Partnership Firm 1.
Name of all the partners 2.
II- In case of company name of 3.
Directors and CEO of the company should 4.
Be mentioned.

देवि प्रसाद सिंह
मो. 98000 12345
मो. 98000 67890

5. G.S.T. Registration No.
6. PAN number.....
7. Details of Bank A/c (For purpose of payment to be made).....
8. Trucks registration Number to be deployed in proposed work:-
 A- CATEGORY- 15 TRUCK, B- CATEGORY- 10 TRUCK, C- CATEGORY- 05 TRUCK.

S. N.	OWNER'S NAME	TRUCK NO.	Tax Deposited up to date	Fitness up to date	Insurance up to date	pollution up to date
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

9- **Details of Earnest money deposit:-**

Account Holder Name.....Bank UTR NO..... Date

Bank/Branch.....Amount

(Scanned copy of receipt must be annexed)

10- **Details of Tender form money deposit:-**

Account Holder Name.....Bank UTR NO..... Date

Bank/Branch.....Amount

(Scanned copy of receipt must be annexed)

12- PCF Registration Certificate no.....valid up to date category.....
 (if the tenderer is registered contractor of pcf)

Signature

Name firm/company/LLP

Address.....

Mobile no.....

Handwritten signature and stamp:
 श्री. सी. ए. क. वि. प्र. म. मण्डल
 मीरजापुर

U.P. Cooperative Federation Limited

32, Station Road, Lucknow.

(TERMS AND CONDITIONS FOR RAKE HANDLING, LOADING, UNLOADING, REBAGGING AND TRANSPORTATION OF FERTILIZER & SEED FOR REVENUE DISTRICT)

for the Financial Years 2026-27 and 2027-28

1- SERVICE TO BE PERFORMED BY THE CONTRACTOR & CHARGES: The contractor shall render all services when required and on the rates mentioned in the tender form annexed.

2- RELATION WITH THIRD PARTIES :

All transactions between the contractor and third parties shall be carried out as between two principles viz the contractor and the third party and any reference at any event from the third party shall not be entertained by the PCF.

3- LIABILITIES FOR PERSONNEL :

All persons employed by the contractor shall be engaged by him as his own employee in all respects and the responsibility under the Indian Factories Act, the workmen's Compensation Act Employees Provident Fund Act or any other enactment in respect of all such personnel shall be that of the contractor.

The contractor shall be bound to indemnify the P.C.F. against all claims whatever in respect of the said personnel under the workmen's Compensation Act 1923 or any statutory modification thereof or under any other law otherwise for or in respect of any damage or Compensation payable in consequence of any accident or injury sustained by any workmen or other person whether in employment of the contractor or not.

4. Period :

Contract will remain in force initially up to 31.03.2028 or such later date as may be decided by the Managing Director PCF or the officer authorized to act on his behalf, but not beyond 12 months from 01.04.2028. but the Managing Director reserves the right to terminate the contract at any time during its currency without assigning any reason by giving seven days notice in writing to the contractor at their last known place of business and the contractor shall not be entitled to any compensation by reason of the termination of their contract. The action of Managing Director, PCF. shall be final under this clause as also binding and conclusive on the contractor and shall not be called into question in any court of law.

5. Security deposits :

(a) The contractor shall furnish security deposit as under within seven days from the award of contract, failing which the acceptance shall be liable to cancellation at the risk of the contractor and subject to such other remedies as may be open to the Managing Director, P.C.F. under the terms of contract and earnest money will stand forfeited.

Category	Amount of Security Deposit
Category A	Rs. 20.00 Lakh
Category B	Rs. 10.00 Lakh
Category C	Rs. 08.00 Lakh

(b) The security deposit shall be paid to U.P. Co-operative Federation Ltd., at concerned district Headquarter of the Federation through a Bank Draft or pay order.

(c) The security deposit furnished by the Tenderer would be subject to the terms and conditions of the tender.

(d) Whenever the security deposit falls short of the specified amount, the contractor shall make good the deficit so that the total amount of security deposit shall not at any time be less than the specified amount.

(e) The security deposit will be refunded to the contractors on due and satisfactory performance of the services and completion of all the obligations by the contractor under the terms and conditions of the contract and on submission of "No Demand Certificate" subject to such deductions from the security as may be necessary for making up the Federation's claim against the contract. No interest shall be payable on security deposit.

(f) The Earnest Money deposit shall be paid to U.P. Co-operative Federation Ltd. No interest shall be payable on Earnest Money deposit.

6-Liability of contractors for losses etc. suffered by P.C.F.

(a) The Contractor shall be liable for all losses which the Federation may suffer on account of the stocks not being properly handled by them. The decision of the Managing Director, PCF or his nominee appointed for this purpose regarding such loss shall be final and binding on the contractor.

(b) The contractor shall be responsible for safe custody of stocks given to him for loading, rebagging, and transportation. If any loss or shortage in stock occurs, while in his custody the same shall be made good by him to the Federation on the basis of double of economic cost of goods i.e., value of stock, bags and other items, if any, and interest thereon @ 12 % p.a. on the

श्री श्री ०००० विद्यालय मण्डल
मीरजापुर

determined amount. He shall also be liable for any action as prescribed in Essential Commodities Act as amended from time to time.

(c) The contractor shall be liable for all costs, damage, demurrages, wharfages, forfeiture of wagons, registration fee charges and expense suffered thereof by the Federation due to the contractors negligence and unworkmen like performance of any services under this contract or breach of any terms thereof or their failure to carry out the work with a view to avoid occurrence of demurrages etc. and for all damages or losses occasion to the Federation, or in particulars to any property or plant belonging to the Federation due to any act whether negligent or otherwise of the contractors themselves or their employees. The decision of the managing Director, PCF, or his nominee regarding such failure of the contractors and their liability for the losses etc. suffered by the Federation shall be final and binding on the contractors.

(d) The contractor shall be responsible for supply of adequate number of trucks for carrying out the services under the contract in accordance with the instructions issued by the Managing Director PCF, Executive Director or General Manager or Dy General Manager, or Regional Manager or District Manager or any other person acting on his behalf. If the contractor fails to supply the requisite number of trucks, The Managing Director PCF, or any other official mentioned above shall at his discretion without terminating the contract be at liberty to engage the services of any other person or contractor at the cost of the contractor, who shall be liable to make good to the U.P. Cooperative Federation and additional charges expenses, cost of losses that the U.P. Co-operative Federation may incur or suffer thereby from his security deposit and pending bills. The contractor shall not, however be entitled to any gain resulting from entrustment of the work to another party. In case contractor fails to transport Fertilizer/Seed to the Cooperative Societies as per the instructions of the Federation and Federation allows societies to transport the same in the interest of fertilizer/Seed transportation, a deduction of 10% of admissible charges shall be done from the bills of contractor on the quantity so transported by the Society.

(e) The contractor shall be liable to re-imburse the PCF, damage losses, charges costs or expenses suffered incurred by it due to the contractors negligence or unworkman like performance of service under the contract or breach of any terms thereof. For the said reimbursement to be made to it by the contractor the PCF shall be entitled to deduct or adjust the amount claimed by it from any sum due or which at any time thereafter may become due to the contractor under this contract or any other contract with the PCF. If the said sums due to the contractors as aforesaid are not sufficient to satisfy the claims of the PCF for the said re-imbursement in full, the balance left after adjustment or adjustment thereof may be adjusted by the PCF, from the security of the contractor, and in case any balance of the said claim still remains, unadjusted that would be paid by the contractor on demand within 30 days & if no deposits is being made in the said period then PCF has a right to lodge an F.I.R against contractor/transporter or any other action in addition as per discretion of PCF against contractor / transporter.

7- Set Off: Any sum of money due and payable to the contractor (including security deposit returnable to them) under this contract may be appropriated by the PCF and set off against any claim of the PCF for the a payment of any sum of money arising out of or under any other contract made by the contractors with the PCF.

8- Payment :

(a) The contractor shall regularly obtain the store receipt or other documents from the godown keeper concerned or secretary of concerning Coop. Societies for goods delivered to them on three copy of the challan and deposit the Challan receipt (Two copies) with the District Manager concerned of the PCF or the godown keeper as the case may be on the same day or latest by next day.

(b) Payment will be made by the District Manager concerned of the PCF on receipt of contractors bills in duplicate duly prepared with Pan, GST no. and the rates sanctioned by the PCF. The bills will be supported by the challans/store receipts duly acknowledged by the consignee and work certificates from godown keeper of the PCF. It will be duty of the contractor to furnish bills on completion of the work.

(c) The rates sanctioned by PCF will be inclusive of all taxes, as imposed by any local authority / State Govt. or Central Govt. from time to time. No payment other than the rates sanctioned as above will be admissible on this accounts.

(d) Advance Payment will not be made to the Contractor in any circumstances.

9-Duties and responsibilities of the Contractor :

(a) The contractor shall carry out all or any of the services tendered for and assigned or entrusted to them by the Managing Director PCF, or any officer acting on his behalf and shall abide by all instructions issued to him from time to time by the said officer. He shall also render services to the full satisfaction of the M.D. PCF., or the said officer.

(b) The contractor shall always be bound to act with reasonable deligence and in a business like manner and to use such skill as he possess in the conduct of their activities.

(c) The contractor shall take adequate steps and necessary precautions to avoid wastages and damage to the stocks during the loading/unloading of wagon/trucks at the loading unloading point.

सेवा प्रदाता
श्री. सी. ए. ए. मिश्रावल मण्डल
मोरजापुर

(d) The contractor shall be responsible for obtaining challans and store receipts duly received in respect of all the stocks entrusted to him for carrying and for handing over the challan /store receipts the same day or latest by the next day to the concerned Distt. Manager PCF. The contractor shall be responsible for losses, if any due to late submission of challans and receipts.

(e) The contractor shall strictly abide by all rules and regulations of the Government/ Local authorities/ any authorities. PCF shall in no case be responsible for any breach of law/rules or regulations of local authorities/ any authorities committed by the contractor or his employees while performing any duty under the contract.

(f) The contractor shall be responsible for the safety of the goods while in transit in their trucks and for delivery of quantity mentioned in the bill/challan to the destination or to the receipts to whom the stocks are sent by the PCF. The losses declared at the end of destination if any will be on contractors account.

(g) The contractor shall obtain from the Distt. Manager PCF or an officer acting on his behalf particulars of consignments expected to be received and/or proposed to be despatched from at godown/ rail heads as the case may be.

(h) The contractor shall prepare necessary forwarding notes risk note forms etc. in respect of consignment intended for despatch by rail and will arrange close and open wagons for loading.

(i) If any consignment has to be booked and freight to be paid, the contractor shall himself pay the freight in the first instance and then recover the same by submitting a stamped and pre-receipted bill supported by vouchers to the PCF.

(j) The contractor shall be responsible for routine cleaning of the wagon prior to its loading to the satisfaction of the officer supervising loading/despatches, the remuneration for loading into wagons shall be deemed to include the remuneration for such routine clearing of wagons.

(k) The contractor shall be required to restack the bags without payment of any extra charges if the instructions for stacking the bags are not observed by them or if the stacking is faulty & not to the satisfaction of the concerned authority. The contractor shall also be responsible for any loss which the PCF may suffer on account of the bags not being properly stacked

The contractor shall not sublet, transfer or assign the contract or any part thereof without the previous written approval of the Federation. In the event of the contract contravening this condition. The PCF shall be entitled to place the contract elsewhere on the contractor's account and at his risk and the contractor shall be liable for loss or damage which the PCF may sustain in consequence or arising out of such replacing of the contract. The contractor if sublet the contract than PCF will put her name in the Blacklist category.

10- OTHERS :

(a) The transport charges are payable for the distance covered by the loaded trucks from the actual place of loading to the actual place of unloading by shortest moveable routs and not for distance covered on return journeys or from garage to place of loading or back to garage.

(b) The transport charges shall be paid for one km. when the distance covered by a loaded truck per trip is less than 1 km. for distance over 1 km. per trip the distance covered by a truck shall in all cases be rounded off to the nearest 1 km.

(c) The actual distance will be fixed by the District Manager PCF, which shall be based on the distance intimated by the Roadways or P.W.D. or Revenue Authorities. While fixing the actual distance from Godown to destination, the Godown should be taken as starting point.

(d) No compensation shall be payable to the contractor on account of non-availability of work sufficient to engage the number of trucks.

(e) Contractor shall pay labour charges to the labourer atleast at the rate not less than fixed by labour department of the sanctioned rate by the P.C.F. to the contractor.

(f) It shall be responsibility of the contractor that his labour do not spill stock from bags by using Parkhi either in godown or in transit. If it is found, deduction at the rate of double the cost shortage, subject to minimum Rs. 10/- per Kg per 45Kg/50 Kg bag in case Urea & Rs. 50/- per Kg per 50 Kg bag in case of DAP & NPK, shall be made from the bills of The Contractor.

(g) The contractor shall provide sufficient number of Tarapaulines for each truck to cover the stocks etc during rains and shall be responsible if stocks are damaged by rains on account of his failure to supply adequate number of tarapaulines or to take reasonable precautions. The decision of the Managing Director, PCF, in such matters shall be final and binding on the contractor.

(h) Use of hook is strictly prohibited, in case hooks are used the penalty @ Rs.5,00 (five) per 45Kg/50 Kg. bag in case of Urea & @ Rs. 10,00 (Ten) per 50 kg bag in case of DAP & NPK and shall be deducted from the bills of the contractor.

श्री श्री ००००००००
श्री श्री ००००००००००
श्री श्री ००००००००००००
श्री श्री ००००००००००००००

(i) Contractor will get themselves enrolled as nominal member of the PCF, by filling the requisite membership form and by the deposition the required fee Rs. 100.00 immediately after acceptance of their tenders.

(j) Any and all disputes, controversies and conflicts ("Disputes") arising out of this Agreement between the Parties or arising out of or relating to or in connection with this contract or the performance or non-performance of the rights and obligations set forth herein or the breach, termination, invalidity or interpretation thereof, shall be referred for arbitration in terms of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965 or any amendments thereof. Prior to submitting the Disputes to arbitration, the parties shall endeavor to settle the dispute/s through mutual negotiation and discussions. In the event that the said dispute/s are not settled within 30 days thereof, the same shall finally be settled and determined by arbitration in accordance with the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965 or any amendment made thereof. The seat of arbitration shall be Lucknow, India and the language used in the arbitral proceedings shall be English. The Arbitration shall be conducted by a sole arbitrator, whose decision shall be final and binding upon the parties. The claimant shall not be entitled to claim any interest for the period either pre reference of pendentlite till the date of award on any sum which is held to be payable to the claimant.

(k) The parties hereto specifically agree and resolve that the sole arbitrator, in the event of any dispute with respect to this agreement, shall be the Commissioner and Registrar, Cooperative Societies, Uttar Pradesh or his nominee and the parties agree not to raise any dispute with respect thereto.

(l) The arbitral award shall be in writing and shall be final and binding on each of the parties. Cost of arbitration shall be borne by the Tenderer.

(m) This contract may be cancelled at any time by the Managing Director without assigning any reason on seven days notice. The contractor shall not be entitled for any compensation or damages for such cancellation/termination of contract.

(n) The period of this agreement can be extended on same rates and condition for one month or more than one month but not more than 12 months by the Managing Director, and period, so extended shall be the part of the agreement, but in no circumstances rates will be enhanced.

(o) No payment other than sanctioned Rates shall be payable to the contractor. The Exp. of Brij Tax/Toll Tax in transportation shall not be reimbursed by the PCF, if any Levy or service tax is imposed shall be born by the contractor and contractor will not be entitled to reimburse the same.

11- Instructions and additional conditions annexed herewith are also applicable and part of the tender form.

All Terms & Conditions of the Tender are Accepted.

Signature and designation of the contractor/Parties with the seal of firm.

Date.....

Signature /seal of the firm/company/LLP

Name firm/company/LLP

Address.....

Mobile no.....

श्री. सी. ए. ए. का. विद्यालय मण्डल
मीरजापुर

सामान्य-निर्देश एवं अतिरिक्त शर्तें

टेण्डर फार्म के साथ संलग्न शर्तों के अतिरिक्त अधोलिखित निर्देश एवं शर्तें टेण्डरदाता/परिवहन ठेकेदार पर लागू होंगी तथा टेण्डर फार्म का भाग समझी जायेगी। अतः टेण्डरदाता द्वारा अधोलिखित निर्देशों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। टेण्डरदाता कृपया टेण्डर फार्म भरने एवं जमा करने के पूर्व इन निर्देशों एवं शर्तों को ध्यान से पढ़कर उनका अनुपालन करना सुनिश्चित करें-

1. टेण्डर वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> से डाउनलोड टेण्डर फार्म पर ही टेण्डर स्वीकार किया जायेगा। निविदादाता व्यक्ति/फर्म/कंपनी के नाम से ही निविदा फार्म शुल्क (नान रिफन्डेबिल)/ अर्नेस्टमनी /अनरजिस्टर्ड निविदादाता की पंजीयन शुल्क (नान रिफन्डेबिल) आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से मण्डल के यूपी0 का प्रापर्टी फंडेशन लि0 के खुले बैंक खाते में जमा की जायेगी। असाफल निविदादाता की धरारर धनराशि (अर्नेस्टमनी) मण्डल स्तर से ही वापस किये जायेंगे। तकनीकी रूप से अर्ह निविदादाता की ही निविदा स्वीकार की जायेगी।
2. टेण्डर भरने से पूर्व टेण्डर के प्रत्येक पैरा तथा टेण्डर फार्म के साथ संलग्न शर्तों का भली भाँति अध्ययन कर लिया जाय, तात्पश्चात् प्रत्येक कालम में उसाके सम्मुख अंकित सूचनायें/रेंट साफ-साफ अंकित किया जायें।
3. टेण्डर फार्म के प्रस्तर 4 में रैंक हैण्डलिंग की पल्लेदारी सहित दरें प्रत्येक किमी स्लैव के सम्मुख अलग-अलग अंकित की जायें, यदि अधिक किमी के स्लैव की दरें कम किमी के स्लैव की दरों से कम हैं तो अधिक किमी के स्लैव के लिए आफर की गयी दर कम किमी के स्लैव के लिए स्वीकृत की जायेगी। अतः दरें सावधानी पूर्वक अंकित की जायें।
4. प्रत्येक कालम में वर्णित स्लैव के लिए ही एकमुश्त प्रति मै0टन दर दी जाये, अन्य स्लैव में दी गयी दरें मान्य न होंगी।
5. जमानत धनराशि:-

जनपद की श्रेणी	जमानत धनराशि
ए	20.00 लाख
बी	10.00 लाख
सी	8.00 लाख

निर्धारित है। सम्बन्धित जिला प्रबन्धक द्वारा नियुक्त परिवहन ठेकेदार से अनिवार्य रूप से जमानत धनराशि (अर्नेस्टमनी समायोजित करते हुए) अनुबन्ध होने से पूर्व जमा करायी जायेगी। जमानत धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त ही अनुबन्ध का कार्य सम्पादित कराया जायेगा।

6. अर्नेस्ट मनी धनराशि कैटेगरीवार A, B, C जनपद हेतु रू0 1,00,000.00 (एक लाख) निर्धारित है। बिना निविदा फार्म शुल्क एवं अर्नेस्टमनी शुल्क के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी तथा बिना किसी विचार के उसे निरस्त कर दिया जायेगा। पूर्व वर्षों की जमा अर्नेस्टमनी/पंजीयन शुल्क इस वर्ष मान्य नहीं होगी। यदि परिवहन ठेकेदार द्वारा दूसरे जनपद हेतु भी निविदा डाली जाती है तो उसे नयी अर्नेस्टमनी का शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।
7. गोदाम से समिति/विकी केन्द्रों पर परिवहन दरों का निर्धारण निम्नवत पी0सी0एफ0 परिवहन दरों के आधार पर किया जायेगा।

दूरी का विवरण	दर
0 से 08 किमी0 तक	रू0 2500 - 3500 प्रति 100 कु0
09 किमी0 से 40 किमी0 तक	रू0 120 प्रति 100 कु0 प्रति किमी0
41 किमी से अधिक	रू0 100 प्रति 100 कु0 प्रति किमी0

उर्वरक/बीज परिवहन कार्य हेतु टेण्डर में 0 से 08 किमी तक की दूरी में रू0 2500 से रू0 3500 के बीच की दरें भरी जायेंगी तथा 09 किमी से अधिक की दूरी पर उपर्युक्त दरों में 10 प्रतिशत से कम दरें प्राप्त होती हैं तो ऐसी दरों पर विचार नहीं किया जायेगा।

8. पीसीएफ में पंजीकृत परिवहन ठेकेदार को टेण्डर फार्म के साथ अधोलिखित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा टेण्डर पर विचार नहीं किया जायेगा:-
 - (अ) पीसीएफ द्वारा निर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र।
 - (ब) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र।
 - (स) अर्नेस्टमनी/निविदा फार्म धनराशि जमा करने सम्बन्धी प्रमाणपत्र।
 - (द) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र अधोलिखित विवरण के अनुसार संलग्न करना अनिवार्य होगा-

ले-आर मन्वन्क
पी0सी0एफ0 विन्यायक मण्डल
वीरजापुर

जनपद की श्रेणी	हैरिगत प्रमाण पत्र
ए	80.00 लाख
बी	50.00 लाख
सी	25.00 लाख

(ह) जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र।

(य) निविदा हेतु ए, बी, सी श्रेणी के जनपदों हेतु वांछित स्वामित्व वाले ट्रकों के पंजीकरण प्रमाण पत्र, टैक्स रसीद,

जनपद की श्रेणी	ट्रक	
	स्वामित्व	अनुबन्धित
ए	15	20
बी	10	15
सी	05	10

स्वस्थता प्रमाण पत्र (फिटनेस), बीमा एवं प्रदूषण प्रमाण पत्र।

टेण्डर प्राप्त होने के 05 दिवस के अन्दर ठेकेदार से स्वामित्व ट्रकों के साथ ए श्रेणी में 20 अनुबन्धित ट्रक, बी श्रेणी में 15 अनुबन्धित ट्रक, सी श्रेणी में 10 अनुबन्धित ट्रकों का अनुबन्ध 02 वर्षों के लिए कराते हुए पीसीएफ को उपलब्ध करायेगे। तदनुसार पीसीएफ एवं ठेकेदार के मध्य अनुबन्ध सम्पादित किया जायेगा। यदि ठेकेदार द्वारा 05 दिन के अन्दर स्वामित्व एवं अनुबन्धित ट्रकों का अनुबन्ध नहीं किया गया तो उसकी अर्नस्टमनी जवा (FORFEIT) कर ली जायेगी।

09. जिन रजिस्टर्ड परिवहन ठेकेदारों का कार्यकाल की वैधता अवशेष है उन्हें निविदा में गाँगी गयी वांछित शर्त पूर्ण करनी होगी अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

10. पीसीएफ में अपंजीकृत परिवहन ठेकेदार भी ई-निविदा में सम्मिलित हो सकते हैं। अपंजीकृत परिवहन ठेकेदार को टेण्डर फार्म के साथ अधोलिखित प्रमाण पत्र भी अपलोड करने होंगे अन्यथा टेण्डर पर विचार नहीं किया जायेगा:-

(अ) अपंजीकृत परिवहन ठेकेदार निविदा में सम्मिलित होने के लिए अर्नस्टमनी शुल्क, नान रिफण्डेबिल टेण्डर फार्म शुल्क के साथ, नान रिफण्डेबिल पंजीकरण शुल्क ए, बी, सी श्रेणी के जनपदों के लिए सामान रूप से ₹0 125,000.00 (₹0 एक लाख पच्चीस हजार) जमा करना होगा। पूर्व वर्षों में जमा की गयी नान रिफण्डेबिल पंजीकरण शुल्क मान्य नहीं होगा।

(ब) निविदा हेतु ए, बी, सी श्रेणी के जनपदों हेतु वांछित स्वामित्व वाले ट्रकों के पंजीकरण प्रमाण पत्र, टैक्स रसीद,

जनपद की श्रेणी	ट्रक	
	स्वामित्व	अनुबन्धित
ए	15	20
बी	10	15
सी	05	10

स्वस्थता प्रमाण पत्र (फिटनेस), बीमा एवं प्रदूषण प्रमाण पत्र, जनपद के सम्भागीय परिवहन अधिकारी से प्राप्त कर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

टेण्डर प्राप्त होने के 05 दिवस के अन्दर ठेकेदार से स्वामित्व ट्रकों के साथ ए श्रेणी में 20 अनुबन्धित ट्रक, बी श्रेणी में 15 अनुबन्धित ट्रक, सी श्रेणी में 10 अनुबन्धित ट्रकों का अनुबन्ध 02 वर्षों के लिए कराते हुए पीसीएफ को उपलब्ध करायेगे। तदनुसार पीसीएफ एवं ठेकेदार के मध्य अनुबन्ध सम्पादित किया जायेगा। यदि ठेकेदार द्वारा 05 दिन के अन्दर स्वामित्व एवं अनुबन्धित ट्रकों का अनुबन्ध नहीं किया गया तो उसकी अर्नस्टमनी जवा (FORFEIT) कर ली जायेगी।

(स) सरकारी/सहकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में नियमित उत्तरक/बीज/खाद्यान्न/अन्य परिवहन का कार्य किया गया हो एवं रेक हण्डलिंग का भी कार्य किया गया हो, का ही अनुभव प्रमाण पत्र पत्रांक/दिनांक सहित मान्य होगा।

ए, बी, सी श्रेणी जनपद के अनुसार अनुभव प्रमाण पत्र:-

जनपद की श्रेणी	वर्ष	कार्य की राशि
ए	02 वर्ष	50 लाख
बी	02 वर्ष	20 लाख
सी	01 वर्ष	05 लाख

(द) फर्म/कम्पनी जैसी भी रिश्ति हो का फर्म प्रमाण पत्र व डीड भी अपलोड करना होगा।

हेरिगत प्रमाण पत्र
पीसीएफ को दिखाने वाले नमूने
भारतपुर

(घ) ए. वी. सी श्रेणी के जनपदों हेतु जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी वांछित हैरियत प्रमाण पत्र निम्नलिखित विवरण के अनुसार:-

जनपद की श्रेणी	हैरियत प्रमाण पत्र
ए	80.00 लाख
बी	50.00 लाख
सी	25.00 लाख

- (ग) ए. वी. सी समस्त श्रेणी के जनपदों हेतु 03 वर्ष का आयकर रिटर्न (आईटीआर), एवं बैंक कार्ड।
 व्यक्ति, फर्म/कम्पनी अथवा सभी भागीदारों का अलग-अलग के नाम आईटीआर होना चाहिए।
 (र) जिला मजिस्ट्रेट /सहाय अधिकारी द्वारा निर्गत व्यक्ति, फर्म/कम्पनी के सभी भागीदारों का निवास प्रमाण पत्र।
 (ल) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत व्यक्ति, फर्म/कम्पनी के सभी भागीदारों का चरित्र प्रमाण पत्र।
 (व) व्यक्ति, फर्म/कम्पनी के सभी भागीदारों का आधार कार्ड।
 (स) निविदा फार्म शुल्क/अनैस्टमनी धनराशि जमा करने सम्बन्धी प्रमाणक।
 (ह) जी०एस०टी० प्रमाण पत्र यदि फर्म/कम्पनी है तो फर्म/कम्पनी के नाम का जी०एस०टी० प्रमाण पत्र।
 (ध) पंजीकरण फार्म में उल्लिखित विन्दुओं पर शपथ पत्र।

उपरोक्त वैध प्रपत्र अपलोड न करने की दशा में पंजीकरण शुल्क जवाब कर लिया जायेगा।

- अपंजीकृत नियुक्त निविदादाता पंजीकरण से सम्बन्धित समस्त अभिलेख 05 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करेंगे। पंजीकरण की अवधि 02 वर्ष रहेगी। 05 दिवस में समस्त अभिलेखों (पंजीकरण की वांछित अर्हता) सहित पंजीकरण हेतु प्रस्तुत नहीं करता है तो टेण्डर निरस्त कर दिया जायेगा।
- निविदादाता अन्य जिले में टेण्डर डालने की अनुमति इस शर्त के साथ रहेगी कि टेण्डरदाता अधिकतम तीन जनपद में ही अपनी पृथक-पृथक ट्रकों का उल्लेख कर निविदा में भाग ले सकता है। टेकदार को निर्धारित प्रारूप पर इस बात का उल्लेख करना होगा कि उसके द्वारा एक जनपद में दिये गये ट्रकों का उल्लेख अन्य जनपद में नहीं किया गया है। एक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को मात्र दो जनपद में ही परिवहन टेकदार नियुक्त किया जा सकता है।
- उर्वरक/बीज की प्राप्त निविदा में एल-1 निविदादाता का निर्धारण उर्वरक बैंक हैण्डलिंग दरों तथा विकी केन्द्रों हेतु प्रेषित परिवहन दरों का एक साथ किया जायेगा एवं जनपद में स्वीकृत सभी टेकदारों का एक हैण्डलिंग एवं परिवहन दोनों का कार्य किया जायेगा। विकी केन्द्रों पर अनलोडिंग मद का भुगतान परिवहन टेकदार को अलग से किया जायेगा।
- एक ट्रक से एक से अधिक समितियों को उर्वरक/बीज प्रेषण किये जाने की स्थिति में अन्तिम समिति की दूरी (अधिकतम दूरी) के अनुसार ट्रक के पूरे स्टॉक का भाड़ा दिया जायेगा।
- परिवहन टेकदार को परिवहन मद में भुगतान की जाने वाली धनराशि का-01 प्रतिशत धनराशि "पीसीएफ विकास निधि खाते" में जमा कर, शेष धनराशि का टेकदार को भुगतान किया जायेगा।
- इफको के दो प्लान्ट फूलपुर (जनपद प्रयागराज) एवं आवला (जनपद बरेली) से जो उर्वरक समितियों को प्रेषित की जाती है की दरें ई-निविदा के माध्यम से प्राप्त की जायेगी।
- स्वीकृत निविदा की दरों पर परिवहन सहकारी संस्थाये अन्य औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए स्वीकृत टेकदार के साथ-साथ जनपद की आवश्यकतानुसार परिवहन का कार्य कराया जा सकता है।
- पीसीएफ द्वारा परिवहन न कराये जाने पर यदि कोई एम-पैक्स स्वयं परिवहन कराती है तो पीसीएफ उसे जनपद की टेण्डर दरों पर परिवहन का भुगतान करायेगा। एम-पैक्स द्वारा परिवहन किये जाने पर परिवहन का भुगतान परिवहन हेतु निर्धारित अधिकतम दर के अनुसार पीसीएफ द्वारा एम पैक्स को किया जायेगा। एम-पैक्स समितियों को परिवहन कार्य की वायविलिटी सुनिश्चित करने हेतु 08 किमी की श्रेणी में औरत से कम भुगतान न किया जाये।
- परिवहन टेकदारों द्वारा रासायनिक उर्वरकों के वारतविक रूप से किये गये परिवहन के लिए ही भुगतान किया जायेगा अन्यथा की दशा में कोई किराया देय नहीं होगा।
- यदि एक जनपद से दूसरे जनपद में उर्वरक प्रेषित किये जाने की आवश्यकता हो तो प्रेषण किये जाने वाले जनपद के परिवहन टेकदार द्वारा उक्त परिवहन कार्य अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
- परिवहन टेकदार नियुक्त होने के पश्चात परिवहन टेकदार को उस जनपद हेतु अपना अधिकृत व्यक्ति नियुक्त करना होगा तथा अधिकृत व्यक्ति का पहचान पत्र/कार्यालय का पता, मोबाइल नम्बर एवं प्रमाणित हस्ताक्षर लिखित रूप से जिला प्रबन्धक को उपलब्ध कराया जायेगा।

हेतु जनपद
 पीसीएफ विद्यावल मण्डल
 बीरजापुर

22. पाँच समितियों पर 01 ट्रक के मानक के आधार पर जनपदों में एक या एक से अधिक परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति की जाये।
23. ठेकेदार द्वारा उपयोग की जा रही सभी ट्रकों में जी०पी०एस० लगाया जायेगा। पीसीएफ/सवा प्रदाता द्वारा यह कार्य किया जायेगा, जिससे वाहनो में जी०पी०एस० शिफ्ट लगाया, उसका मेन्टेनेन्स व उसकी कन्ट्रोलिंग भी करना होगा। जी०पी०एस० लगवाना, रख-रखाव/मेन्टेनेन्स आदि पर आने वाला खर्च परिवहन ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा। जी०पी०एस० के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश अलग से जारी किया जायेगा। वाहनों के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन परिवहन ठेकेदार को करना अनिवार्य होगा।
24. परिवहन ठेकेदार नियुक्त होने के उपरान्त ठेकेदार द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी ट्रकों को निर्धारित मानक के अनुसार क्लर कोडिंग करायी जानी अनिवार्य होगी।
25. प्रबन्ध निदेशक पीसीएफ द्वारा नियुक्त परिवहन ठेकेदार को बिना कोई कारण बताये एवं बिना पूर्व सूचना दिये उर्वरक/वीज के ठेके को निरस्त किया जा सकता है।
- 26-परिवहन ठेकेदार का ठेका/अनुबन्ध निम्नलिखित कारणों से निरस्त/डिबार/ब्लैक लिस्ट/निलम्बित किया जा सकता-
 अ- परिवहन ठेकेदार द्वारा फर्जी अथवा गलत प्रमाण-पत्र/अभिलेख प्रस्तुत करना।
 ब- टेण्डर स्वीकार होने के उपरान्त असन्तोषजनक क्रियान्वयन करना।
 स- समय से परिवहन अथवा हैण्डलिंग कार्य न करना।
 द- पर्याप्त मात्रा में श्रमिक (लेबर) अथवा स्टाफ न रखना।
 ह- उर्वरक की कालाबाजारी/डायवर्जन आदि में लिप्त पाया जाना।
 म- मॉग के अनुरूप ट्रक उपलब्ध न कराये जाने व अन्य वांछित वाहन उपलब्ध न करा पाना/अनैतिक कार्य /असंवैधानिक कार्य में लिप्त पाये जाने पर।
 य- कार्य स्वयं न कर सवलेट करना अथवा अन्य अनाधिकृत व्यक्तियों से कराया जाना।
 र- अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार, अपराध, मारपीट अथवा धमकी दिने जाने, किसी भी प्रकार का अनुचित दबाव डालने पर।
 ल- वांछित प्रतिभूति (जमानत) की धनराशि जमा न करना।
 व- अनुबन्ध होने के 05 दिन के अन्दर जी०पी०एस० एवं क्लर कोडिंग न कराया जाना।
 श- ट्रकों के नम्बर, व्यक्ति/फर्म/कम्पनी/सहकारी संस्था के नाम सहित ब्लैक लिस्ट/डिबार आदि कार्यवाही करने के लिए प्रबन्ध निदेशक पीसीएफ अधिकृत होंगे तथा उनका निर्णय अन्तिम होगा।
 परिवहन ठेकेदार को टेण्डर प्राप्त होने के 05 दिन के अन्दर अनुबन्धित ट्रकों का अनुबन्ध करते हुए समस्त ट्रकों का विवरण जिला प्रबन्धक को नही उपलब्ध कराया जाता है तो उसकी अर्नेस्टमनी जब्त करते हुए ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
27. परिवहन ठेकेदार एवं पीसीएफ के मध्य किसी प्रकार के विवाद का निरतारण उ०प्र० सहकारी समिति अधिनियम 1965 के अधीन किया जायेगा, जो दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।
28. परिवहन ठेकेदार नियुक्त होने के उपरान्त सम्बन्धित ठेकेदार को मॉग के अनुरूप प्रत्येक दशा में निर्धारित समय के भीतर वांछित ट्रक उपलब्ध कराने होंगे। यदि सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा निर्धारित समयावधि में वांछित ट्रक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो सम्बन्धित ठेकेदार के विरुद्ध निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी।
 अ- एक से दो दिन में ट्रक उपलब्ध न कराने पर रू० 2000/- प्रति दिन प्रति ट्रक के आधार पर धनराशि की वसूली/कटौती जिला प्रबन्धक पीसीएफ द्वारा की जायेगी।
 ब- तीन दिन तक ट्रक उपलब्ध न कराये जाने पर नोटिस/स्पष्टीकरण आदि निर्गत करते हुए ठेकेदार की प्रतिभूति (जमानत) धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा गुण दोष के आधार पर ठेकेदार के विरुद्ध नियमानुसार अनुबन्ध निरस्तीकरण/निलम्बन/ब्लैक लिस्टिंग आदि की कार्यवाही की जायेगी।
29. पीक सीजन में ट्रकों की संख्या को यथावश्यक और बढ़ाया जाये जिससे कि समितियों में उर्वरक आपूर्ति में समस्या न हो।
30. यदि परिवहन ठेकेदार द्वारा हैण्डलिंग/परिवहन आदि का कार्य नहीं किया जाता है तो विभाग द्वारा उसके रिस्क एण्ड कास्ट पर कार्य करा लिया जायेगा तथा कराये गये कार्य की लागत धनराशि से दो गुनी धनराशि सम्बन्धित ठेकेदार से वसूल की जायेगी।
31. फर्म के अन्य पार्टनर अथवा उ०प्र० सहकारी समिति नियमावली 1968 (यथा संशोधित) में परिभाषित किसी व्यक्ति का निकट सम्बन्धी उसी जनपद में निविदा डालने हेतु अर्ह नहीं होगा।

श्री पी० सी० एफ० विन्यासबल मण्डल
 मीरजापुर

32. पंजीयन/निविदा की स्वीकृति/ अनुबन्ध निरस्तीकरण/निलम्बन /क्लैक लिस्टिंग करने आदि का सम्पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निदेशक पीसीएफ में निहित होगा।
33. परिवहन ठेकेदारों द्वारा उत्तर प्रदेश शासन के परिवहन विभाग के निर्देशों का पालन करना होगा। पीसीएफ/भारत सरकार/राज्य सरकार/ सरकारी विभाग/सहकारी/अर्द्ध सरकारी विभाग /निगम से क्लैक लिस्टेड व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के टेण्डर पर विचार नहीं किया जायेगा तथा उनकी धरोहर धनराशि जवाब कर ली जायेगी।
34. परिवहन ठेकेदार/फर्म/कम्पनी अथवा उसका किसी भी साझेदार पर किसी भी न्यायालय द्वारा दोगी घोषित कर दिया गया हो तो उसका टेण्डर फार्म पर विचार नहीं किया जायेगा।
35. परिवहन ठेकेदार को अपनी फर्म /कम्पनी में किसी भी प्रकार के बदलाव यथा संरचना/प्रकृति/पता में होने वाले परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक पीसीएफ को सूचित करना अनिवार्य होगा।
36. अन्य किसी भी शर्तों के साथ जो टेण्डर फार्म के साथ संलग्न शर्तों से गिन्न हों, टेण्डर फार्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् अपलोड होने वाली निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
37. टेण्डर प्रक्रिया में टेण्डरदाता स्वयं अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि कोई एक व्यक्ति ही भाग ले सकता है। अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा टेण्डर प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व टेण्डरदाता द्वारा हस्ताक्षरित अधिकार पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
38. टेण्डरदाता द्वारा टेण्डर फार्म का प्रत्येक पृष्ठ संलग्न शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ तथा टेण्डर फार्म के साथ संलग्न किये गये सभी संलग्नकों को स्वयं हस्ताक्षरित किया जायेगा तथा निविदा फार्म पूरा भरते हुए टेण्डर फार्म में वर्णित सभी वांछित प्रमाण पत्र टेण्डर फार्म के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
39. जिस दिन निविदा खोली जायेगी उस दिन तक वांछित प्रपत्र की वैधता पूर्ण होनी आवश्यक है।
40. सर्विस टैक्स एवं अन्य उपकर सम्बन्धी सभी उपबन्ध तथा जी०एस०टी० परिवहन ठेकेदारों पर यथाविधि लागू होंगे।
41. टेण्डर फार्म के साथ संलग्न शर्तें (Terms & conditions) तथा उपर्युक्त निर्देश टेण्डर फार्म का हिस्सा हैं तथा टेण्डरदाता द्वारा मान्य होंगी।
42. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निविदा या परिवहन के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
43. टेण्डरदाता के पक्ष में टेण्डर स्वीकृत होने पर पीसीएफ का नाम मात्रिक सदस्य बनना अनिवार्य होगा।

Signature /seal of the firm/company/LLP

Name firm/company/LLP

Mobile no.....

13
 से. प्र. वि. वि. वि.
 पीसीएफ० वि. वि. वि. वि. वि.
 बीरजापुर

Scanned with CamScanner

संलग्नक-1

जिलों एवं गोदामों की सूची जहाँ जिले मुख्यालय के साथ अन्य स्थानों पर स्थित गोदामों में उर्वरक भण्डारण किया जाता है।

क्र० सं०	जिले का नाम	स्थान जहाँ गोदाम स्थित है
1	एटा	कासगंज, एटा
2	फिरोजाबाद	शिकोहाबाद
3	अलीगढ़	अलीगढ़, सिकन्दराराऊ
4	कौशाम्बी	पूरागुपती, इलाहाबाद(नैनी), मंडानपुर
5	सन्तकबीर नगर	बरती, खलीलाबाद (कोनी)
6	अम्बेडकर नगर	फैजाबाद, अकबरपुर
7	बुलन्दशहर	सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर
8	गाजियाबाद	डासना, हापुड़
9	विजनौर	विजनौर, धामपुर
10	मुरादाबाद	मुरादाबाद
11	वाराणसी	चन्दौली, वाराणसी
12	जौनपुर	जौनपुर, शाहगंज
13	पीलीभीत	पूरनपुर, पीलीभीत
14	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर, पुवायां
15	बांदा	अतर्रा, बांदा
16	महराजगंज	गोरखपुर
17	चित्रकूट	कर्वी, बोंदा
18	हमीरपुर	मौदहा, राठ, महोबा
19	इलाहाबाद	सोरावं, नैनी (चिरकाना)
20	औरैया	इटावा, भेली, भर्थना
21	वागपत	मेरठ, बड़ौत
22	लखीमपुर खीरी	सीतापुर, लखीमपुर खीरी, मरखापुर
23	कानपुर(नगर)	चौबेपुर, कानपुर (पनकी), रुमा, कानपुर
24	गौतमबुद्ध नगर	तिलपता, डासना एवं हापुड़
25	हाथरस	सादाबाद

शपथ पत्र

(रु0 100/- के नान जुडीशियल स्टैम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित)

मै शपथी/शपथिनी.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....उम्र

वर्ष निवासी.....शपथपूर्वक यह घोषणा करता/करती हूँ:-
1- यह कि शपथी/शपथिनी द्वारा पूरे प्रदेश में अधिकतम 03 जनपदों पर ही निविदा डाली जा रही है इससे अधिक निविदायें नहीं डाली जायेगी।

2-यह कि शपथी/शपथिनी द्वारा किया गया कोई आवेदन अराफल हो जाने की दशा के पश्चात् भी प्रदेश में केवल अधिकतम 03 जनपदों की सीमा तक ही आवेदन किया जायेगा तथा अधिकतम 02 जनपदों में ही ठेका प्राप्त किया जायेगा।

3- यह कि शपथी/शपथिनी द्वारा जनपद..... में उल्लिखित किये गये ट्रक नम्बरों का उल्लेख अन्य जनपद में नहीं किया गया है। यदि उल्लिखित किये गये ट्रक नम्बरों का उल्लेख अन्य जनपद में पाया जाये तो प्रार्थी/फर्म/कम्पनी की अर्नेस्टमनी जब्त कर ली जाय।

4-यह कि मै/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि ठेका स्वीकृति के उपरान्त विभाग द्वारा प्रदत्त ठेके को मेरे/हमारे द्वारा निष्ठापूर्वक सम्पादित किया जायेगा तथा विभाग में नियमानुसार अनुबन्ध एवं प्रतिभूति (जमानत) आदि की समस्त वांछित अभिलेख एवं औपचारिकतायें निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करते हुये कार्य सम्पादित किया जायेगा। मेरे/हमारे द्वारा ऐसा न करने पर ठेका निरस्त करते हुए अर्नेस्टमनी जब्त करने का पूर्ण अधिकार विभाग को होगा, जिसमें मुझे/हमे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

5- यह कि मै/हम यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि टेण्डर का कार्य मुझे/हमे आवंटित होने पर उसे किसी भी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को सबलेट नहीं किया जायेगा।

6-यह कि शपथी/शपथिनी द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना असत्य पाये जाने की स्थिति में शपथी/शपथिनी का अभ्यर्थन/टेण्डर/ठेका निरस्त कर दिया जाये, जिसमें मुझे/हमे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

सत्यापन

मै शपथी/शपथिनी उपरोक्त सत्यापित करता/करती हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र मेरे निजी ज्ञान व विश्वास से सत्य व सही है, जिसे मैंने आज दिनांक को अपने हस्ताक्षर से तस्दीक किया।

दिनांक:-

स्थान:-

शपथी/शपथिनी

नोट- प्रोपराईटरशिप फर्म/कम्पनी की दशा में समस्त भागीदारों /निदेशक/सदस्यों द्वारा अलग-अलग शपथपत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

लेनरि विभाग
नोरजापुर

Scanned with CamScanner



Scanned with OKEN Scanner

शपथ पत्र का प्रारूप
(रु0 100/- के स्टैम्प पेपर पर नोटरी द्वारा)

1. यह कि मैंने/हमने पी0सी0एफ0 में उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी नाम से पंजीयन हेतु आवेदन नहीं किया है और न ही पंजीकृत हूँ।
2. यह कि मेरा/हमारा पूर्व में पीसीएफ अथवा सम्बद्ध कय एजेन्सी में पंजीयन निलम्बित/निरस्त नहीं हुआ है और न ही कभी ब्लैक लिस्टेड हुआ/हुए है।
3. यह कि मैं/हम कालाबाजारी, माफिया, गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं हूँ/हैं। यदि ऐसा होना पाया जाता है तो अन्य कार्यवाहियों के अतिरिक्त विभाग को पंजीयन निरस्त करने का अधिकार होगा।
4. यह कि मैं/हम सम्भावित निविदादाताओं को धमकाने, उन्हें निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से रोकने की कार्यवाही नहीं करूँगा। यदि ऐसा पाया जाता है तो अन्य कार्यवाहियों के अतिरिक्त विभाग को पंजीयन निरस्त करने का अधिकार होगा।
5. यह कि मैंने/हमने कोई सुसंगत तथ्य छिपाया नहीं है। पंजीयन के उपरान्त प्रदत्त ठेके (यदि कोई) का कार्य मैं/हम निष्ठापूर्वक सम्पादित करूँगा/करेंगे।
6. पंजीकरण हेतु मैंने/हमने पीसीएफ में संदर्भित व्यक्ति, फर्म/कम्पनी में प्रदर्शित वाहन, किसी अन्य विभाग के कार्य में अथवा किसी अन्य कार्य में स्वयं अथवा किसी अन्य फर्म कम्पनी आदि के माध्यम से न तो प्रदर्शित किया गया और न ही नियोजित किया गया है।
7. यह कि उपरोक्त बिन्दु संख्या-1 से 6 तक समस्त कथन मेरी/हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है। यदि इस शपथ पत्र में उल्लिखित कोई जानकारी अथवा पंजीकरण हेतु संलग्न प्रपत्रों में कोई गलत तथ्य पाये जाये तो मेरा पंजीकरण समाप्त कर दिया जाय इसमें मुझे कोई आपत्ति न होगी। उपरोक्त कथन बिना किसी के दबाव में एवं पूरे होशोहवास में व्यक्त किये गये हैं।

हस्ताक्षर

व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का नाम.....

पता-.....

मोबाइल नम्बर:-.....

के.के. प्रबन्धक
पी0सी0एफ0 विन्यास बल मण्डल
मोरजापुर

Scanned with CamScanner



Scanned with OKEN Scanner